प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–30.08.2023 (सं0–395)

सडक सुरक्षा

राज्य में सडक दुर्घटनाओं से सम्बन्धित 03 वर्षों के आँकडे

क्र0सं0	वर्ष	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मृत्यु
1	2020	8639	6699
2	2021	9553	7660
3	2022	10801	8898

वर्ष 2021 में सडक परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये आँकडों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की स्थिति निम्नवत हैः–

- राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रतिलाख जनसंख्या के आधार पर बिहार राज्य का स्थान 8वाँ है, वर्ष 2020 में बिहार 15वें स्थान पर था। किन्तु मृत्यु के दर के आँकड़ों के अनुसार बिहार 9वें स्थान पर है।
- वर्ष 2021 में प्रति 10 हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटना की दर 15.1 है जबकि बिहार राज्य में यह दर 11.7 है।
- सड़क दुर्घटनाओं के Severity Index अनुसार यह दर 80 है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं की स्थितिः–

- राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 4886 कि0मी0 हैं। इसमें कुल 59 राष्ट्रीय राजमार्गों के Segment (खण्ड) बिहार से होकर गुजरते हैं।
- राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई का 4 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों का है, किन्तु सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 44 प्रतिशत मृत्यु राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में होती हैं।
- राज्य के राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का 78.44 प्रतिशत NHAI के अधीन राजमार्गों पर होती हैं।

1. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ATMS (Advance Traffic Management System)

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर ATMS के अधिष्ठापित होने के उपरान्त ओवर स्पीडिंग पर होने वाली कार्रवाई के उपरान्त सुखद परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं। सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु की दर में कमी अंकित की गयी है।
- मुजफ्फरपुर–कोटवा (मोतिहारी) राजमार्ग के 80कि0मी0 के खण्ड पर दिनांक 27.01.2023 से 27.08.2023 तक ओवर स्पीडिंग के मामले में 14744 चालान निर्गत किये गयें, जिसके परिणति स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु की दर में कमी आई है।

वर्ष	माह	काण्ड	मृतक
2022	जनवरी से जून	93	74
2023	जनवरी से जून	68	53
प्रतिशत कमी		26.8%	28.3%

- एन0एच0 319 बभनिया–जगदीशपुर (आरा) के एक खण्ड पर दिनांक 29.01.2023 से 24.08.2023 तक ओवर स्पीडिंग के मामले में 863 चालान निर्गत किये गयें। वहाँ भी सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु की दर में कमी आई है।
- ATMS के अधिष्ठापन के उपरान्त आने वाले उत्साह जनक परिणाम के दृष्टिकोण से गृह विभाग के द्वारा NHAI को पत्र प्रेषित कर सभी राजमार्गों पर ATMS अधिष्ठापित करने हेतु लिखा गया है।

2. राजमार्गों पर गश्त (Highway Patrol)

- राजमार्गों पर प्रति 50 कि0मी0 के विस्तार पर दो चरणों में Highway Patrol Cum Interceptor Vehicle प्रस्तावित है।
- 114 Highway Patrol Cum Interceptor Vehicle पर प्रति वाहन 04 पुलिस कर्मी रहेंगे।
- इन वाहनों का लिंक डायल 112 (ERSS) के वाहनों से होगा।
- कर्तव्य
  - मोटरवाहन अधिनियम का अनुपालन कराना सुनिश्चित करना।
  - आपातकालीन सेवा।
  - सुचारु यातायात हेतु नियमित गश्त।

3. यातायात बल की स्वीकृति

28 ऐसे जिले जहाँ यातायात बल नहीं है वहाँ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सभी उपस्करों से युक्त पर्याप्त मानव संसाधन (यातायात बल) की स्वीकृति अंतिम चरण में है।

पटना नगर

पटना नगर में ATMS के अधिष्ठापन के उपरान्त परिणामों को जानने के उद्देश्य से पटना के 04 महत्वपूर्ण सड़कों पर कराये गये सर्वेक्षण से यह दृष्टिगोचर हुआ कि 98 प्रतिशत लोगों के द्वारा हेलमेट का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक सुखद परिवर्तन है। लोगों ने स्वतः स्वयं को अनुशासित कर लिया है।

SN	Location Name	Duration		Total Number of Motorbike	No Helmet
1	Atalpath ANPR	9:00AM	9:30AM	390	6
2	Atalpath R Block	9:00AM	9:30AM	636	21
3	LCT Ghat ANPR	9:00AM	9:30AM	636	14
4	LCT Ghat Back Side	9:00AM	9:30AM	431	5

SN	Location Name	Duration		Total Number of Motorbike	No Helmet
1	Atalpath ANPR	1:00AM	1:30AM	217	9
2	Atalpath R Block	1:00AM	1:30AM	498	11
3	LCT Ghat ANPR	1:00AM	1:30AM	407	17
4	LCT Ghat Back Side	1:00AM	1:30AM	349	4